यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, थत्यूड (टि॰ग॰) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, थत्यूड (टि॰ग॰) के माह 10/2015 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28/11/2017 से 06/12/2017 तक ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, एस॰एस॰दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं मनोज कुमार पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25/10/2015 से 03/11/2015 तक श्री ....., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2011 से 09/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः मोटर मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण कार्य कया जाना।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	523.31	523.24	1907.66	1897.64		
2015-16	-	-	598.81	598.80	1241.50	1241.50		
2016-17	-	-	568.28	546.69	978.76	979.06		
2017-18	-	-	533.59	376.39	883.30	776.36		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई बी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, थत्यूड (टि॰ग॰) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, थत्यूड (टि॰ग॰) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 08/16 व 08/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। सुवाखोली-अलसम-भवान-नगुण मो.मा. का सुदृढीकरण का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 20/02/17 से 23/02/2017 का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/16 तथा 09/16 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 10/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - (-) 7817

   भाग द् वतीय - ₹ 1536142.75

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/17 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 3596504.80

   (ख) सामग्री क्रय –

   (ग) नगद परिशोधन -

   (घ) निक्षेप- ₹ 25045419.41

   (ङ) भण्डार- ₹ -805064.00

भाग दो 'ब'

प्रस्तर **1** - कार्य की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही नि वदा आमंत्रित करना, उच्चा धकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटना तथा कार्य की स्वीकृति लागत से शासन की पुनरी क्षत प्राप्त कये बगैर लागत 67.74 लाख अ धक का कार्य निष्पादन कया जाना।

मा. मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र - धनौल्टी के परोगी-काण्डी मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 1838/111(2)/13-03 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 11/02/2013 के द्वारा 10.000 क.मी. लम्बाई हेतु लागत 352.12 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा पत्रांकः 2624/08(130) याता. (मा.मु.घो.)-पर्व./2013 दिनांक 23/08/2013 के माध्यम से लम्बाई 10.000 क.मी. हेतु लागत 352.12 लाख की प्रदान की गयी थी।

अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि. व., कीर्तिनगर के अ भलेखों की नमूना जांच (माह 11/2017) में पाया गया कः

- कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग पौड़ी द्वारा पत्रांकः 2624/08(130) याता. (मा.मु.घो.)-पर्व./2013 दिनांक 23/08/2013 के माध्यम से लम्बाई 10.000 कमी. हेतु लागत 352.12 लाख की प्रदान की गयी थी। जब क प्रा वधक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 06/06/2013 को नि वदा आमंत्रित की गयी।
- कार्य की प्रा व धक स्वीकृति 352.12 लाख की मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी, परन्तु उच्चा धकारी की संस्वीकृति से बचने के लये कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 18 अनुबंध अधीक्षण अ भयन्ता स्तर के गठित कये गये जब क इसके लये सक्षम अ धकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं कया गया।
- कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन से मात्र 352.12 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 1838/111(2)/13-03 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 11/02/2013 के द्वारा 10.000 कमी. लम्बाई हेतु प्राप्त हुयी थी। कार्य हेतु गठित अनुबंधों के सापेक्ष कुल निष्पादित कार्य की लागत 419.86 लाख थी (

386.28 लाख + 33.58 लाख), जब क इसमें आकस्मिक व्यय एवं गुणवत्ता नियंत्रण का व्यय सम्मि लत नहीं था। इस प्रकार शासन से स्वीकृति प्राप्त कये बिना ही स्वीकृति लागत से 67.74 लाख (419.86-352.12 = 67.74) अ धक का कार्य निष्पादन कया गया। कार्य के लये कुल 386.28 लाख का भुगतान कया गया था, जब क निष्पादित कार्य के लये कुल 33.58 लाख का बिल खण्डीय कार्यालय में Unpaid पड़ा हुआ था।

उक्त के सन्दर्भ में इं गत कये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया क नि वदा प्रकाशन एवं नि वदा प्राप्त करने की ति थ के अन्तर को ध्यान में रखते हुये तथा नि वदा प्र क्रया में कम समय में निस्तारण कये जाने हेतु ही नि वदायें प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही आमन्त्रित की गयी एवं कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने हेतु छोटे-छोटे हिस्सों में नि वदायें आमन्त्रित की गयी तथा कार्य की स्वीकृत लागत से बढ़ोत्तरी कार्य स्वीकृति तथा क्रयान्वयन के दौरान दरों के अन्तर के कारण उत्पन्न हुई जो लगभग 15 प्रतिशत के अन्तर्गत है व्यया धक्य 52.23 लाख की स्वीकृति मु. अ भ., लो.नि. व. टिहरी के कार्यालय द्वारा पारित है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क निष्पादित कार्य के बाउचरों का कुल योग 419.86 लाख थी जब क इसमें आकस्मिक व्यय एवं गुणवत्ता नियंत्रण का व्यय सम्मि लत नहीं था। जो क कार्य की स्वीकृति लागत से 67.74 लाख अ धक (19.24 % above) था जिसके लये शासन से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये थी।

अतः कार्य की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही नि वदा आमंत्रित करने, उच्चा धकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटने तथा कार्य की स्वीकृति लागत से शासन की पुनरी क्षत स्वीकृति प्राप्त कये बगैर लागत 67.74 लाख अ धक का कार्य निष्पादित कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर **1**-:उप खनिजो पर `**9.24** लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26फरवरी 2016तथा संख्या-842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18.05.2016 तक `194.50, दिनांक-19.05.2016 से 27.10.2016 तक `154.00 प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष में अ धशासी अ भयंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण वभाग, थत्युड कार्यालय के संबं धत अ भलेखों,माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया क उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016 से मई 2016 तक नही की गई थी।

खण्ड के द्वारा मार्च , 2016 से मई 2016 तक कुल ` 8.71 लाख कटौती कर जमा कया गया था जब क संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो `17.95 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात (`17.95 लाख - `8.71 लाख= `9.24लाख) `9.24 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क मा॰ उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित स्थगनदेश दिनांक- 10.12.2016 के क्रम मे उत्तराखंड शासन औधो गक वकास अनुभाग स॰ 107/vii-1/24/9/07 दिनांक-22 जनवरी 2016 द्वारा शासन की अ धसूचना स॰ 1207/VII-124 ख/2007 दिनांक-07 अगस्त 2015 को निरस्त कर दिया गया हैं। इस लए कम रॉयल्टी काटी गयी हैं। खंड का उत्तर मान्य नहीं हैं क्यो कमा॰ उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक-07 अगस्त 2015की अ धसूचनानिरस्त कर दिया गया हैं। न की दिनांक 26फरवरी 2016 एवं दिनांक 19 मई

2016की। अतः संशो धत दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः `9.24 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर **2-:** प्रतिभूति धनरा श(**Security Deposit)** की प्रत्याहरण**(Refund)** के संबंध मे।

अगस्त 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह अगस्त 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की मा सक लेखा जुलाई 2014 की जांच मे पाया गया हैं क Form-79-Schedule of Deposit(Part-II) के अनुसार `1,19,41,018.00(एक करोड़ उन्नीस लाख इकतालीस हजार अटारह रुपये मात्र) के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष हैं। खंड द्वारा प्रमुख अ भयंता एव वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड को दिनांक-11.07.2017 के लखे गए मे भी उल्लेख कया गया हैं क ठेकेदारो को प्रतिभूति धनरा श के वरुद्धधनवाटन उपलब्ध न होने के कारण कोई भुगतान नही कया गया हैं।

इस ओर इं गत कए जाने कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कइस संबंध मे शासन स्तर पर पत्राचार चल रहा हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं।क्यो क उक्त धनरा श को खण्ड द्वारा उचंत लेखा शीर्षक के बचत मद मे रख कर नियमानुसार ठेकेदारो को भुगतान कया जाना था

अतः अगस्त 2014 से पूर्व ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श` 1,19,41,018.00(एक करोड़ उन्नीस लाख इकतालीस हजार अटारह रुपये मात्र) का प्रत्याहरण(Refund) नही कये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर **3-:** प्राप्त धनरा श से डपाजिट कार्यों पर अ धक व्यय 8.99 लाख कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तक भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के वपरीत उपरोक्त deposit कार्य पर प्राप्त धनरा श से अ धक व्यय कया गया अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, थत्युड (टिहरीगढ़वाल) के निक्षेप मद भाग-III के अ भलेखों की जांच मे पाया गया क खण्ड को निक्षेप कार्य हेतु संबन्धित वभाग से धनरा श प्राप्त हुई थी, परन्तु खण्ड द्वारा निम्न ल खत 03 कार्यों जो ब्लोंक रोड थत्युड़ 9-) 41833/- सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वु भन निर्माण (-) 60266/- एवं मरम्मत कार्यों पर गलत व्यय डपाजिट मद में दिखाया गया (-) 796537/- जिसका कुल योग (-) 8,98,636/- है जो प्राप्त धनरा शयों से अ धक व्यय कया गया जो निक्षेप मद में 12/1991, 1994-95 एवं 07/2001 से पड़ा हुआ है वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 में निहित प्रावधानों के क्या इस संबंध में क्लाईंट वभाग से पूर्व में सहमति नहीं ली गयी थी इन कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई अतः यो कार्य अभी तक अपूर्ण है इन कार्यों को कब क्लाईंट वभाग को हस्तांतरित कया गया है। वभाग से पूंछे जाने पर वभाग ने उत्तर में बताया क निक्षेप भाग-III में ऋणात्मक धनरा श काफी पुरानी है तथा प्रस्तर जो पछले AIR No 7/2001-02/109 दिनांक 23/10/2001 में चल रही है ओर पूर्व में कई बार पत्राचार कया जा चुका है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर **4-:** 35.96 लाख प्रकीर्ण अ ग्रम का वसूली/समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग थत्युड़ (टिहरी गढ़वाल) के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम मद में मार्च 2007 से अक्टूबर 2017 तक धनरा श 35.96 लाख वभाग, कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / खण्ड द्वारा नहीं कये जाने के कारण प्रकीर्ण अ ग्रम पंजिका में दर्शाया गया आगे लेखा अ भलेखों में यह पाया गया क खण्ड द्वारा इन अ ग्रमों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया अतः 10 वर्ष (2007 से दिसम्बर 2017 तक) के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं कया गया आगे ये भी देखा गया क प्रकरण को वभाग के उच्चा धकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया है। इस संदर्भ में वभाग से पूंछा गया की। कन कारणों से खण्ड द्वारा इन वगत 3 वर्षों में खण्ड द्वारा कतने कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों से कुल दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / प्रकीर्ण अ ग्रम मद में कया गया है। खण्ड द्वारा प्रकीर्ण अ ग्रम मद में पड़ी रा श को जल्द वसूलने हेतु क्या कार्यवाही का जा रही है। क्या खण्ड द्वारा इस संबंध में जिला अ धकारी को वसूली कए जाने हेतु लखा गया है? वभाग ने उत्तर में बताया क खण्ड द्वारा कर्मचारी / फर्मों को वसूली की कार्यवाही की जा रही है एवं खण्ड द्वारा अ ग्रम वसूलने हेतु पत्राचार कया जा रहा है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	42/2003-04	1	-	
2	17/2004-05	-	02	
3	52/2006-07	-	03	
4	13/2007-08	-	02	
5	09/2009-10	01	-	
6	52/2010-11	03	-	
7	62/2011-12	01	02	
8	78/2015-16	-	1 (ब),2	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			प्रस्तर की अनुपालन अख्या पुर्व SE एंव CE के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत ।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो०नि० व०, थत्यूड (टि०ग०)तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) माप पुस्तिका सं. 499/485/L, 522/506/L, 481/L, 536/520/L, 513/497/S

(ii) श्री बचन संह बेलदार की सेवा-पुस्तिका

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री ए. एस भण्डारी	अ धशासी अ भयंता	11/07/15 से 15/04/17
(ii)	श्री वपुल कुमार सैनी	अ धशासी अ भयंता	15/04/17 से 09/06/17
(iii)	श्री आरिफ खान	अ धशासी अ भयंता	21/06/17 से 24/07/17
(iv)	श्री रजनीश कुमार	अ धशासी अ भयंता	24/07/17 के अब तक

(v) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री हर मन्दर कुमार 01/08/2014 से 16/06/17
2. श्री अशोक फाल 16/06/2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो०नि० व०, थत्यूड (टि०ग०) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II